फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.), मुकाम–सिरोही(राज

प्रार्थी		अप्रार्थी
1 श्री जगदीश कुमार सोलंकी पुत्र नवाराम जाति मेघवाल नि. मण्डवाडा तहसील व जिला सिरोही	बनाम	1 सरकार जरिए, तहसीलदार सिरोही

किस्म मुकदमा,

राजस्व प्रा.पत्र अ.धारा 136 एल.आर एक्ट रा.प्रा.पत्र सं. 121 / 2024

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
21.05.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी की ओर वकील श्री चेतन कुमार रावल व स्टेट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी स्टेट ने जरिये पत्रांक / कोर्ट / 2025 / 367 दिनांक 15–05–2025 से प्रस्तुत जवाब को शामिल पत्रावली की गई, प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई। तहसीलदार सिरोही के प्राप्त जवाब अनुसार प्रार्थी एवं सहखातेदार की संयुक्त रूप से भूमि मौजा मंडवाडा पटवार मण्डल उड में स्थित है। खाता संख्या 44 खसरा नंबर 83, 86 रकबा क्रमशः 0, 90, 2.01 कुल 2.19 हेक्टेयर में प्रार्थी का हिस्सा 1 / 6 है। प्रार्थी का नाम जमाबंदी में जोगाराम पुत्र नवाराम मेघवाल सा. देह दर्ज है, जो त्रुटिवश नहीं लिखा है गांव में प्रार्थी को दोनों नामों से पुकारते हैं। प्रार्थी को जोगाराम पुत्र नवाराम एवं जगदीश पुत्र नवाराम दोनों के नाम से लोग पुकारते हैं और दोनो एक ही हैं। प्रार्थी के मूल दस्तावेजात आधारकार्ड, मूलनिवास, जाति प्रमाणपत्र, मार्कलिस्ट, आयकर प्रमाणपत्र, पेनकार्ड, वोटरकार्ड, आरजेएचएस कार्ड इत्यादि में प्रार्थी का नाम जगदीश कुमार पुत्र नवाराम है। अतः प्रार्थी का नाम जोगाराम पुत्र नवाराम से जगदीश पुत्र नवाराम किया जाना उचित है। प्रकरण में वकील प्रार्थीगण व पेरोकार सरकार द्वारा अंतिम बहस हेतु निवेदन पर वकील प्रार्थीगण व पेरोकार सरकार की अंतिम बहस सुनी गई। हमने वकील प्रार्थी व परोकार सरकार की अंतिम बहस का गंभीरता पूर्वक मनन किया, विचरण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली व दस्तावेजात व स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब का भी गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अधारा 136 एल.आर एक्ट का तहसीलदार से प्राप्त जवाब के आधार पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है कि ***मौजा मंडवाडा पटवार हल्का उड भू. अभि. नि. क्षेत्र जावाल तहसील व जिला सिरोही के कृषि भूमि खसरा संख्या 83, 86 में खातेदार जोगा पुत्र नवाराम की जगह जगदीश कुमार सोलंकी पुत्र नवाराम*** संशोधन कर उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अपडेट कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें । लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही (राज०) न्यायालय लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर सिरोही (राज०) सत्यमेव जयते	